<u>न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—282 / 2012</u> <u>संस्थित दिनांक—03 / 04 / 2012</u> फाई.क.234503002102012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—रूपझर जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — —

<mark>📝 / विरूद्ध</mark> / /

ज्ञानेश उर्फ नान्हू पिता परसराम यादव, उम्र—30 वर्ष, निवासी—आबकारीटोला वार्ड नं.12 बैहर थाना बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.) — —

// <u>निर्णय</u> // (<u>आज दिनांक 30/01/2018 को घोषित)</u>

1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337(दो बार), 304ए का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—06.02.2012 समय 12—01 बजे के करीब स्थान ग्राम समनापुर मेन रोड़ आराक्षी केन्द्र रूपझर चौकी उकवा में तहसील बैहर जिला बालाघाट जो कि लोक मार्ग है पर वाहन मेटाडोर 709 क.—सी.जी.08/जेड.बी.—0217 को उताबलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपूक्षापूर्वक चलाकर वाहन को पलटा दिया जिससे आहत दिनेश व कन्हैया को उपहित कारित कर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर वाहन को पलटा दिया जिससे आहत दिनेश व कन्हैया को उपहित कारित कर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक फिरतू की मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की कोटी में नहीं आती है।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि के.पी. मिश्रा पुलिस चौकी उकवा थाना रूपझर में जब सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे तब उन्हें अस्पताली मेमो तहरीर जांच के लिए प्राप्त हुई थी। जांच के दौरान उन्होंने आहत दिनेश, कन्हैया, शेरसिंह वाहन मालिक शिवप्रसाद से पूछताछ कर उनके कथन लेखबद्ध किये थे। जिसमें उन्होने बताया था कि घटना दिनांक 06.02.2012 को सभी आहतगण मेटाडोर क. 709 क सी.जी.08/जेड. बी—0217 में किराना सामान लेने बालाघाट गये थे। मेटाडोर वाहन को अभियुक्त नान्हू उर्फ ज्ञानेश यादव चला रहा था। बालाघाट से वापस आते समय वाहन चालक नान्हू उर्फ ज्ञानेश ने वाहन को तेज रफतार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया था एवं समनापुर खण्डापार के बीच वाली नदी की पुलिया में मेटाडोर 709 को पलटा दिया था। जिससे वाहन में बैठे हमाल दिनेश, फिरतू, कन्हैया एवं शेरसिंह को चोटें आयी थी। जांच तहरीर पर से मेटाडोर के चालक अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना रूपझर ने अपराध क 19/2012 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

- 3— अभियुक्त को तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा—1 में उल्लेखित धाराओं का अपराध विवरण बनाकर पढ़कर सुनाया व समझाया था, तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।
- 4— अभियुक्त का धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:-

- 1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक—06.02.2012 समय 12—01 बजे के करीब स्थान ग्राम समनापुर मेन रोड़ आराक्षी केन्द्र रूपझर चौकी उकवा में तहसील बैहर जिला बालाघाट जो कि लोक मार्ग है पर वाहन मेटाडोर 709 क.—सी.जी.08/जेड.बी.—0217 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया था ?
- 2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर पलटा दिया था जिससे आहत दिनेश एवं कन्हैया को उपहति कारित की ?
- 3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर पलटाकर मृतक फिरतू की मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की कोटी में नहीं आती है ?

विवचेना एवं निष्कर्ण:-

- 6— प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो इस कारण दोनो विचारणीय बिदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 7— कन्हैयालाल अ.सा.01 का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से दो वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को शेरसिंह, दिनेश, फिरतु एवं साक्षी अभियुक्त के साथ 407 वाहन में ट्रांसपोर्ट का सामान लेकर वापस बालाघाट से बैहर आ रहे थे। उक्त वाहन अभियुक्त चला रहा था। वाहन खण्डापार के पास पहुचा था। वाहन का ब्रेक पाईप फटने के कारण वाहन अनियंत्रित होंकर पलट गया था। उक्त दुर्घटना में किसी की गलती नहीं थी। घटना के समय साक्षी को बायें पैर में चोट लगी थी। साक्षी का शासकीय अस्पताल बैहर में ईलाज हुआ था। साक्षी ने पुलिस को घटनास्थल बता दिया था। मौकानक्शा प्र.पी.01 पर साक्षी के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर है। पुलिस ने साक्षी के कथन लिये थे। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।
- 8— शेरसिंह अ.सा.02 का कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से ढ़ाई वर्ष पूर्व की रात्रि 10—11 बजे की है। साक्षी रात्रि 10—11 बजे बालाघाट से बैहर 407 वाहन में बैठकर आ रहा था। वाहन को अभियुक्त चला रहा था। अचानक ब्रेक पाईप फट गया था जिससे वाहन पलट गया था। वाहन पलटने से साक्षी को घुटने में चोट लगी थी। गाड़ी में बैठे कन्हैया एवं अन्य व्यक्तियों को भी चोटें आयी थी। दुर्घटना पाईप फटने से हुई थी। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।
- 9— दिनेश अ.सा.03 का कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से दो वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को साक्षी 407 वाहन में माल भरकर बालाघाट से बैहर आ रहा था। वाहन अभियुक्त चला रहा था। वाहन 407 समनापुर पार हुआ था। वाहन का ब्रेक फेल हो गया था जिससे वाहन

संभला नहीं था पलट गया था। जिससे घटना में साक्षी को पैर में चोट लगी थी। वाहन में अभियुक्त सहित पांच व्यक्ति थे। दुर्घटना के एक माह के पश्चात फिरतू की मृत्यु हो गयी थी। साक्षी के समक्ष पुलिस ने वाहन को जप्त कर प्र.पी.04 का जप्ती पंचनामा बनाया था एवं अभियुक्त को प्र.पी.05 के गिरफतारी पंचनामा द्वारा गिरफतार किया था। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटनास्थल बता दिया था। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.01 बनाया था।

10— नंदनी धुर्वे अ.सा.04ए का कहना है कि घटना दिनांक को उसके पिता फिरतु ट्रक में हमाली करने गये थे। साक्षी को पता लगा था कि उसके पिता का एक्सीडेण्ट हो गया है। साक्षी बैहर अस्पताल उन्हें देखने गयी थी। ट्रक कौन चला रहा था साक्षी को जानकारी नहीं है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि उसे उसके चाचा ने बताया था कि अभियुक्त ने ट्रक 709 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर समनापुर खण्डापार नाले में पलटा दिया था। दुर्घटना में आयी चोटों के कारण साक्षी के पिता की मृत्यु हो गयी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह घटनास्थल पर उपस्थिति नहीं थी।

11— जेंदूलाल अ.सा.05 का कहना है कि मृतक फिरनुलाल उसका भाई था। घटना दिनांक को वह जब घर आया था उसे पता लगा था कि फिरनु का चार पिहया वाहन 709 से एक्सीडेण्ट हों गया है। जिसे परसु यादव का पुत्र चला रहा था। दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी साक्षी को पता नहीं है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वाहन 709 को अभियुक्त ने लापरवाहीपूर्वक चलाकर समनापुर खण्डापार नाले में पलटा दिया था। दुर्घटना में आयी चोटों के कारण फिरनु की दस—पन्द्रह दिन बाद मृत्यु हो गयी थी। अभियुक्त की लापरवाही से दुर्घटना हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं था। घटना कैसे हुई थी साक्षी को पता नहीं है। साक्षी ने यह भी

स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने घटना के समय वाहन को तेज रफतार लापरवाहीपूर्वक चलाकर उक्त घटना कारित नहीं की थी।

- 12— चैनलाल अ.सा.08, धरमलाल अ.सा.09 का कथन है कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। घटना के समय वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे। चैनलाल अ.सा.08 ने यह बताया है कि फिरतु की मृत्यु होने पर उसके सामने नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.09 बनाया गया था। धरमलाल अ.सा.09 ने यह बताया है कि उसके सामने प्र.पी.09 का नक्शा पंचायतनामा नहीं बनाया गया था। प्र.पी.09 के नक्शा पंचायतनामा पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।
- 13— साक्षी शिवप्रसाद अ.सा.04 का कहना है कि घटना तीन चार वर्ष पूर्व की हैं। साक्षी के पास 709 चार पहिया वाहन है जिसका नम्बर सी.जी. 08/जेड.बी—0217 था। घटना दिनांक को उक्त वाहन अभियुक्त चला रहा था। वाहन खण्ड़ापार पुलिया में पलट गया था। वाहन पलटने से उसमें बैठे तीन—चार हमाल को चोट लगी थी। पुलिस ने पूछताछ कर साक्षी के बयान लिये थे।
- 14— चित्रराज प्रधान आरक्षक अ.सा.12 का कहना है कि दिनांक 06.02. 2012 को पुलिस चौकी उकवा से कैलाश मेश्राम आरक्षक क 293 द्वारा अपराध क 0/12 की कायमी थाना रूपझर में पेश करने पर साक्षी द्वारा अपराध क 19/12 की असल कायमी की थी। असल कायमी प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.18 है। साक्षी ने मृतक फिरतू की मर्ग कायमी चौकी उकवा से प्राप्त होने पर असल मर्ग कायमी की थी जो प्र.पी.19 है।
- 15— चिकित्सक एन.एस.कुमरे अ.सा.10 का कहना है कि दिनांक 12.03. 2012 को उनके पास थाना बैहर से आरक्षक राजेन्द्र क 421 मृतक फिरतू को पोस्टमार्टम के लिए लेकर आया था। मृतक के शरीर में अकड़न थी। मुह आंख बंद थी। दाहिने चेहरे, दाहिने पीठ पर सुधरे हुए घाव के निशान थे। मृतक के राईट बटक पर चीरा लगाने पर मवाद आ रहा था। शव का आंतरिक परीक्षण करने पर मृतक दुबला पतला कद काठी का था। मृतक की खोपड़ी कशेरूका खराब हो गयी थी। दोनो फेफडे, यकृत प्लीहा, सिल्ली, मिस्तिष्क पीले पड़ गये थे। हदय में बहुत कम मात्रा में रक्त होना पाया था।

छोटी पेल में तरल पदार्थ एवं बड़ी आंत में बीस्ट होना पाया था। लम्बर1 एवं 2 में अस्थिभंग होना पाया था। मृतक को दिनांक 07.02.2012 को भर्ती किया गया था जिसे आगे के ईलाज हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रिफर किया था। चिकित्सक के मतानुसार मृतक की मृत्यु का करण बेहोशी होना पाया था जो पुरानी चोटो से उत्पन्न सेप्टीसीमिया से होना पायी थी। चिकित्सक साक्षी ने दिनांक 07.02.2012 को थाना प्रभारी बैहर को सूचना दी थी जिसमें लेख किया था कि उनके द्वारा आहत फिरत्, दिनेश, कन्हैयालाल को भर्ती किया था। आहत फिरतू का परीक्षण करने पर चोट क01 अब्रेजन जो कि दो थे, तीन चौथाई गुणा एक चौथाई इंच लिये, चमड़ी निकल गयी थी एक दूसरे के समानांतर थी जो कि दाहिने चेहरे पर होना पायी थी। चोट क02 कंटूजन जो कि दो गुणा एक इंच लिये जिसमें दाहिनी पीठ में लेवल आफ लंबर1 एवं 2 होना पाया था। चोट क03 कंटूजन एक गुणा आधा इंच, तिरछापन लिये थी उक्त चोट बाऐं सिर के अग्र भाग पर पायी थी। चोट क04 अब्रेजन आधा इंच गुणा आधा इंच लिये बाऐं चेहरे पर होना पायी थी। चोट क05 अब्रेजन आधा इंच गुणा आधा इंच लिये दाहिने एंकल ज्वाईट पर बाहर की तरफ पायी थी। सामान्य स्थिति में आहत होश में था लेकिन दोनो पैर सुन्न पड़ गऐ थे, स्वसन तंत्र नियमित चल रहे थे। दोनो पैर के रिफलेक्स कमजोर पड़ गये थे।

16— चिकित्सक एन.एस.कुमरे अ.सा.10 ने उनकी साक्ष्य में यह भी बताया है कि आहत कन्हैयालाल का मेडिकल परीक्षण करने पर आहत को चोट क01 अब्रेजन तीन चौथाई गुणा एक चौथाई इंच लिये हुए चमड़ी निकल गयी थी, उक्त चोट बाएं पैर के सोल पर होना पायी थी। चिकित्सक ने आहत दिनेश का मेडिकल परीक्षण करने पर चोट क.01 एक कंटूजन तीन चौथाई गुणा एक चौथाई इंच लिये था उक्त चोट सिर के अग्र भाग पर दाहिने तरफ होना पाया था, चोट क 02 एक कंटूजन डेढ़ गुणा आधा इंच लिये थी उक्त चोट दाहिने घुटने पर सामने की तरफ पायी थी। चोट क03 अब्रेजन आधा इंच गुणा आधा इंच लिये थी जो कि दाहिने पैर पर सामने की तरफ होना पाया था। चोट क 04 एक कंटूजन आधा इंच गुणा आधा इंच लिये जो बांऐ पंजे पर होना पाया था। चोट क 05 एक कंटूजन आधा इंच लिये जो बांऐ पंजे पर होना पाया था। चोट क 05 एक कंटूजन आधा इंच

गुणा आधा इंच लिये था जो बाएं पैर पर तलवे पर होना पाया था। चिकित्सक के अभिमत में आहत फिरतू को चोट क01 एवं 2 के लिए एवं आहत दिनेश को चोट क. 02 व 03 के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। मृतक फिरतु की चोट क03 लगा. 05 आहत कन्हैयालाल की चोट क01 एवं आहत दिनेश की चोट क01 एवं 04, 05 की चोटें साधारण प्रकृति की थी। मृतक फिरतु की चोटें कड़ी बोथरी एवं खुरदुरी सतह से, आहत कन्हैयालाल एवं दिनेश की चोटें कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थीं। आहतगण की चोटें परीक्षण के समय बारह घण्टे के अंदर की थीं। आहत फिरतु को देखरेख के लिए भर्ती कर आगे के ईलाज के लिए एवं आहत दिनेश को ईलाज के लिए जिला अस्पताल बालाघाट भेजा था। चिकित्सक द्वारा पुलिस थाना बैहर की दी गयी सूचना पत्र प्र.पी.11 है। आहतगण की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.12 लगा. प्र.पी.14 हैं एवं मृतक फिरतू का शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.15 है। चिकित्सक ने आहत दिनेश के लिए एक्सरे के लिए बालाघाट भेजा था।

17— चिकित्सक डी.के.राउत अ.सा.11 का कहना है कि वह दिनांक 27.02. 2012 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलाजिस्ट के पर पदस्थ थे। दिनांक 08.02.2012 को एक्सरे टेक्नीशियन ए.के.सेन ने आहत दिनेश के दाहिने पैर के फुट वाले भाग का एक्सरे किया था एवं एक्सरे टेक्नीशियन ए.के.सेन ने आहत फिरतू का भी एक्सरे किया था। दिनेश की एक्सरे प्लेट क 526 एवं फिरतु की एक्सरे प्लेट क 530 है। दोनो आहतगण को चिकित्सक गजभिये ने एक्सरे के लिए रिफर किया था। दिनेश एवं फिरतू की एक्सरे प्लेट के उठिया था। दिनेश एवं फिरतू की एक्सरे प्लेट के पर साक्षी ने कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था। आहत दिनेश एवं फिरतू की एक्सरे प्लेट परीक्षण रिपोर्ट कमशः प्र. पी.16 एवं 17 हैं।

18— टिक्कूसिंह अ.सा.07 का कहना है कि उसके द्वारा थाना रूपझर में जप्तशुदा वाहन 608 मेटाडोर का मैकेनिकल परीक्षण किया गया था। वाहन परीक्षण करने पर साक्षी ने वाहन की स्टेरिंग, क्लच, गियर, टायर ठीक हालत में पाये थे। हेड लाईट बंद, ब्रेक पाईप फटा हुआ, इंटीकेटर टूटा हुआ, बेक लाईट टूटी हुई पायी थी। साक्षी को बैहर के वाहन मालिक ने

कहा था कि मैकेनिकल परीक्षण कर दो तब साक्षी ने उक्त वाहन का घटना स्थल पर मैकेनिकल परीक्षण किया था। मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.08 है जिस पर साक्षी ने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

प्रकरण के साक्षीगण केन्हैयालाल अ.सा.०1, शेरसिंह अ.सा.०2, दिनेश अ.सा.03 आहतगण होकर प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण हैं, परंतु तीनों साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय अभियुक्त वाहन को धीरे एवं सावधानीपूर्वक चला रहा था। दुर्घटना में अभियुक्त की कोई लापरवाही नहीं थी। साक्षी कन्हैयालाल अ.सा.०१ एवं दिनेश अ.सा.०३ ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद देखा था तो वाहन का ब्रेक पाईप फटा हुआ था। शेरसिंह अ.सा.02 की साक्ष्य के अनुसार भी अचानक ब्रेक पाईप फटने के कारण गाड़ी पलटी थी। साक्षी कन्हैयालाल अ.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे घटना के समय ब्रेक पाईप फटने की आवाज आई थी। नंदनी धुर्वे अ.सा.4ए एवं जेठूलाल अ.सा.०५ घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं, इस कारण उनकी साक्ष्य से घटना का समर्थन होना नहीं माना जाता है। प्र.पी.18 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रकरण की घटना 709 मेटाडोर वाहन से होना लिखी है परंतु प्र.पी.18 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में मेटाडोर का नम्बर 709 किसी अन्य नम्बर को काटकर लिखा गया है, अंक 709 में ओवर राईटिंग है। कन्हैयालाल अ.सा.01, दिनेश अ.सा.03 ने उनकी साक्ष्य में 407 वाहन से घटना होना बताया है। कन्हैयालाल अ.सा01 एवं दिनेश अ.सा.03 की साक्ष्य एवं प्र.पी.18 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में मेटाडोर वाहन 709 से घटना होने के संबंध में विरोधाभास है। प्रकरण के किसी भी साक्षी ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि घटना कारित करने वाले वाहन को अभियुक्त उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चला रहा था। कन्हैयालाल अ.सा01 एवं दिनेश अ.सा.03 ने उनकी साक्ष्य में घटना कारित करने वाले वाहन के नम्बर नहीं बताये हैं एवं घटना के स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में प्रकरण में जप्तशुदा वाहुन की गति के बारे में नहीं बताया है। उक्त परिस्थतियों को देखते हुए अभियोजन पक्ष के साक्षियों की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण की घटना प्रमाणित नहीं मानी जाती है। प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित भारतीय दण्ड संहिता की धारा–279, 337(दो बार), 304ए का अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–279, 337(दो बार), 304ए के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- प्रकरण में अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- अभियुक्त का धारा—428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन आवेदक की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात आवेदक के पक्ष में समाप्त समझा जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

ALLEN PAROLE SUNT (दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट